

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

29-झबरेड़ा (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।


निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री विरेन्द्र कुमार, ग्राम व पोस्ट शेरपुर खेलमऊ, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किये गए।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान-हरिद्वार।

तारीख-10 मार्च, 2022

  
रिटर्निंग ऑफिसर

29-झबरेड़ा(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।

रिटर्निंग ऑफिसर

29-झबरेड़ा (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

# FORM-21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.


Election to the Legislative Assembly of Uttarakhand State from 29-Jhabrera(SC) Assembly constituency .

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the people Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961. I declare that-

Shri Virendra Kumar, Village and Post Sherpur Khelmau, Tehsil Roorkee, District Haridwar has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Haridwar

Date: 10 March, 2022

  
**Returning Officer**  
**29-Jhabrera(SC) Assembly Constituency**

Returning Officer  
29-Jhabrera (S.C.) Assembly Constituency